



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, स्लरी पाईप लाईन परियोजना, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडिला भवन, जगदलपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत स्लरी पाईप लाईन परियोजना (जिसके अंतर्गत Associated facilities of conveyor gallery, iron ore concentrate pipeline एवं tailing dam pipeline शामिल हैं) हेतु बैलाडिला वन खण्ड में 7.116 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 10/08/2018

स्थान: नया रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन विभाग, नया रायपुर